परिवार नियोजन और स्त्रियां

स्त्रियां परिवार नियोजन की केंद्र बिंदु हैं। यह बात इससे साफ जाहिर होती है कि 80 फी सदी से ज्यादा तरीके उन्हीं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। दूसरी ओर जहां उनका महत्व समझा जाना चाहिए, उनके स्वास्थ्य और प्रजनन से जुड़ी समस्याएं उनकी व्यक्तिगत समस्याएं मानकर भुला दी जाती हैं।

महिला संगठनों के कार्यकर्ता ग्रामीण व शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाली औरतों के निकट संपर्क में आते हैं। उनकी जांच बताती है कि थोपे गए परिवार नियोजन तरीकों से औरतों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। गरीबी में इलाज का खर्च और बढ़ जाता है।

जनसंख्या नियंत्रण में दो बुनियादी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। एक—बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मिलनी चाहिएं। दो—औरतों का प्रजनन पर बुनियादी अधिकार।

इतिहास गवाह है कि यदि लोगों की जिंदगी ज्यादा निश्चित और सुरक्षित होगी तो ज्यादा बच्चों की इच्छा कम हो जाती है। जब तक गरीबी और बच्चों की मृत्यु-दर ऊंची रहेगी, तब तक मां-बाप बच्चों, लड़कों को अपने बुढ़ापे का सहारा मानते रहेंगे। लगभग हर पिता दो बेटे चाहता है, इसलिए कि एक नालायक निकल जाए तो दूसरा उनकी देख-रेख कर लेगा।

आर्थिक विकास काफी नहीं है। उसका वितरण जनसंख्या के कितने बड़े भाग में हुआ है यह भी महत्वपूर्ण है। क्यूबा, चीन, श्री लंका, कोरिया और ताइवान इस बात के उदाहरण हैं। इन देशों में पश्चिमी देशों जितनी खुशहाली नहीं है। दूसरी ओर भारत जैसे देशों में विकास तो हुआ,

प्रति व्यक्ति औसत आय भी बढ़ी, लेकिन उसका लाभ थोड़े लोग ही उठा रहे हैं। आम जनता गरीब और अशिक्षित है। परिवार नियोजन पर भारी सरकारी खर्च के बावजूद जनसंख्या की बढ़ोतरी में कोई खास कमी नहीं आई।

असफलता के कारण

परिवार नियोजन की असफलता का कारण गरीबी और अशिक्षा ही नहीं है। इसे कारगर बनाने का समूचा तरीका ही गलत है। स्त्रियां केंद्र बिंदु तो हैं, पर उन्हें किसी भी स्तर पर साथ लेकर चलने का कार्यक्रम नहीं बनाया जाता। उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे आखीर में आती है, उनका जो फैसला सबसे पहले होना चाहिए, उसका अधिकार उन्हें सबसे बाद में मिलता है और कई बार मिलता भी नहीं।

पालन-पोषण और बड़े परिवार के बोझ के अलावा लगातार बच्चे जनने का शारीरिक कष्ट ही इतना ज्यादा होता है कि औरतें ज्यादा बच्चे जनना नहीं चाहतीं, लेकिन अनेक कारणों से उनके पास इसका विकल्प नहीं है। कई बार पति की इच्छा के कारण दबना पड़ता है। कई बार परिवार नियोजन के तरीकों का ठीक ज्ञान नहीं होता। कई बार वे आस-पास इन तरीकों के बुरे नतीजों को देखकर डर जाती हैं। कई बार बहुत कमजोर शरीर या खून की कमी के कारण डाक्टरनी उन्हें गर्भपात की राय नहीं देतीं, क्योंकि उसमें बच्चा जनने से ज्यादा जान का खतरा है।

एक औरत को आपरेशन की सलाह दी गई तो उसने बताया कि उसके सिर्फ एक लड़का है। यदि दो होते तो उसका पति राजी हो जाता। दो लड़कियां भी हैं, पर उनकी कोई गिनती नहीं। जहां तक बुढ़ापे में सहारे का सवाल है बूढ़ी मुसलमान औरतें जवान औरतों से ज्यादा शिकायत कर रही थीं। अब वे खुदा से दुआ मांगती हैं कि उनकी बेटियों को "इस सबसे न गुजरना पड़े जिससे हम गुजर रहे हैं।"

पति राजी नहीं

कीनिया देश की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ती ने औरतों की कठिनाइयां बताईं। एक औरत ने उससे कहा— "मैं परिवार नियोजन का तरीका अपनाना चाहती हूं, पर मेरा पति नहीं मानता। मैंने उसे मनाने की काफी कोशिश की पर वह मेरी एक नहीं सुनता। पुरुष परिवार नियोजन का महत्व नहीं समझते। वे परिवार नियोजन केंद्र नहीं जाते, औरतें दवाइयों से डरती हैं, अपने पतियों से डरती हैं।"

एक दूसरी औरत ने कहा, "आदमी तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे होते रहें, ताकि हमें आजादी न रहे।" तीसरी औरत ने बताया कि "आई. यू. डी. (कापर टी) के बारे में मेरे पति को कुछ मालूम नहीं था। मेरे बताने पर वह सुनता ही नहीं था, पर जब उसने रेडियो पर सुना तब उसने मेरी बात मानी।"

पेरु देश में गर्भपात कराने वाली स्त्री को जेल भुगतनी पड़ती है। अनेक देशों में यह गैरकानूनी है। निकारागुआ में केवल बलात्कार की सूरत में गर्भपात कानूनी है। क्यूबा ही एकमात्र लेटिन अमरीकी देश है जहां औरतों को बिना किसी बंधन गर्भपात का पूरा हक है।

नाइजीरिया और युगांडा में बांझपन को बुरा माना जाता है। प्रजनन क्षमता की पूजा होती है, लेकिन बांझपन के बुनियादी कारण, जैसे टी.बी., बाल-विवाह, यौन रोग, गंदगी और प्रसव की समस्याओं को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती है।

जापान की अभूतपूर्व आर्थिक और तकनीकी तरक्की में औरतों का बड़ा योगदान रहा, फिर भी वहां पुरुष स्त्रियों को घर और बच्चों तक सीमित रखना चाहते हैं।

अनेक मुद्दों पर विचार

परिवार नियोजन कार्यक्रम में इन सब मुद्दों की भूमिका पर विचार-विमर्श की जरूरत है। जनसंख्या परिषद के फारेस्ट ग्रीनलैंड का मत है कि "गर्भ निरोधक शोध में ऊपर से नीचे तक पुरुष हावी है और उनमें से कई का मत है कि प्रजनन से सिर्फ

औरतों को जोड़ना है। इसलिए कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य स्त्रियां रहती हैं।"

गर्भ निरोधक खतरों को मान लेना उतना ही व्यक्तिगत सवाल है जितना वैज्ञानिक। कई औरतें गर्भ रोकने के लिए स्वास्थ्य का खतरा उठाने को तैयार हैं, पर उन्हें खतरों को जानने का हक तो है। फैसला उन्हीं का होना चाहिए।

अब सवाल है कि ऊपर दिए तथ्यों के आधार पर जनसंख्या की बढ़ोतरी के लिए औरतों को किस हद तक ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण में मुख्य रूप से नीचे लिखे तथ्य काम करते हैं।

1. आमदनी और भूमि का बराबरी का वितरण। 2. रोज़गार के अवसर। 3. सामाजिक रक्षा (इसमें सरकार की ओर से दी सुरक्षा शामिल है)। 4. साधारणजन का शिक्षित होना। 5. औरतों का दर्जा। 6. ज्यादा उम्र में शादी। 7. स्वास्थ्य केंद्रों और परिवार नियोजन तक औरतों की पहुंच। 8. औरतों का प्रजनन-संबंधी अधिकार।

शिक्षा और कम बच्चे

विकसित देशों में यदि स्त्रियां केवल 7-8 साल तक भी स्कूली शिक्षा पा लेती हैं तो उनके कम बच्चे होते देखे गए है। जहां औरतों का दर्जा बेहतर है, फैसले लेने का अधिकार उनके हाथ में है, वे घर से बाहर काम करती हैं, वहां उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ती है। उनके रहन-सहन में बदलाव आता है। उन्हें अपनी पहचान बनाने के नए माध्यम मिलते हैं।

स्त्रियों को स्वयं नए रास्ते निकालने की कोशिश करनी होगी। जब पति-पत्नी मिलकर और सोच-समझकर फैसले लेंगे तभी मानव का कल्याण संभव होगा। सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

साभार—ज़ंजीरों को तोड़कर
किशोर भारती